संख्या-17/1062/78-2-2014-53आई0टी0/2008टी0सी0

प्रेषक,

जी0 एस0 प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, बागवानी, श्रम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, नगर विकास विभाग, निर्वाचन, उ.प्र. शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 22 सितम्बर, 2014

विषयः प्रदेश में इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि जन सामान्य को अधिक से अधिक सेवायें कुशलतापूर्वक, कम कीमत पर एवं पारदर्शी तरीके से उनके द्वार के समीप उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में एस.एस.डी.जी/ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत कतिपय विभागों की शासकीय सेवायें जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस को प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या में वृद्वि की जाये जिससे आम जनमानस अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। देश के विभिन्न राज्यों में ई-डिलीवरी के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का अध्ययन करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि विभिन्न विभागों की बहुत सी सेवायें ई-डिलीवरी के माध्यम से आम जनमानस को प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में प्रदेश में एस.एस.डी.जी/ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में ई-डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही कतिपय जनोपयोगी सेवाओं/सम्भावित सेवाओं की सूची अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में वर्णित सेवाओं में से अथवा अपने विभाग की वह सेवायें जों सिटीजन सेन्ट्रिक हैं, को चिन्हित करते हुये आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके एवं आम जनमानस को जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से यह सेवायें उनके निकटस्थ स्थान पर प्राप्त हो सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

इसके अतिरिक्त यदि आपके विभाग से सम्बन्धित कोई सेवा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही है तो उसे स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) से इंटीग्रेट करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में विभागीय एप्लीकेशन्स को एस.एस.डी.जी. के माध्यम से रूट करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव स्तर से जारी शासनादेश संख्या- 122/78-2-2014-53आई0टी0/2008 दिनांक 20 जनवरी, 2014 की प्रतिलिपि आपके सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी पृच्छा/जानकारी हेतु श्री नगेन्द्र सिंघल, हेड, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, उ.प्र. (मोबाइल नं0 9721326000), ई-मेल (nagentra.s@semt.gov.in) से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(जी.एस.प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

संख्या:17/1062(1)/78-2-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले., उ0प्र0 शासन।
2. राज्य समन्वयक, सीईजी लखनऊ।
3. हेड, एसईएमटी, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in